

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 10

वाणिज्य विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	(करोड़ रुपए)									
राजस्व	396.38	903.66	1300.04	386.13	903.32	1289.45	392.00	935.00	1327.00	
पूंजी	100.62	...	100.62	73.87	...	73.87	383.00	...	383.00	
जोड़	497.00	903.66	1400.66	460.00	903.32	1363.32	775.00	935.00	1710.00	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	2.00	31.00	33.00	2.17	29.46	31.63	...	30.00	30.00
	2052
जोड़	2.00	31.00	33.00	2.17	29.46	31.63	...	30.00	30.00	
विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन										
2. व्यापार आयुक्त	3453	...	63.50	63.50	...	64.36	64.36	...	63.50	63.50
	5453
जोड़	...	63.50	63.50	...	64.36	64.36	...	63.50	63.50	
3. विदेशी व्यापार महानिदेशक	3453	3.11	34.83	37.94	3.11	34.83	37.94	...	35.20	35.20
4. निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता										
4.01 निर्यात सब्सिडी	3453	...	610.00	610.00	...	571.60	571.60	...	585.00	585.00
4.02 निर्यात संवर्धन एवं बाजार विकास संगठन को सहायता-अनुदान										
	3453	...	40.00	40.00	...	44.00	44.00	...	45.00	45.00
जोड़	...	650.00	650.00	...	615.60	615.60	...	630.00	630.00	
	3453	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
5. महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनात्मक शेष	3601	15.25	...	15.25	19.25	...	19.25
	3602	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
जोड़	26.75	...	26.75	30.75	...	30.75	
6. मुक्त व्यापार/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास	3453	...	2.93	2.93	...	2.63	2.63	...	3.03	3.03
6.01 काण्डला (एस. ई. जेड)	5453	4.00	...	4.00	1.59	...	1.59
	3453	...	3.46	3.46	...	3.90	3.90	...	10.95	10.95
6.02 इलेक्ट्रॉनिक्स(एस.ई.ई.पी.जेड)(एस. ई. जेड)	5453	0.30	...	0.30
	3453	...	1.27	1.27	...	1.34	1.34	...	1.47	1.47
6.03 फाल्टा	5453	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3453	...	3.32	3.32	...	3.33	3.33	...	3.52	3.52
6.04 चेन्नई	5453	2.50	...	2.50	3.49	...	3.49
	3453	...	1.74	1.74	...	1.72	1.72	...	1.88	1.88
6.05 कोचीन एस. ई. जेड	5453	4.70	...	4.70	4.70	...	4.70
	3453	...	3.00	3.00	...	3.39	3.39	...	3.55	3.55
6.06 नोएडा	5453	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
	3453	...	1.34	1.34	...	1.50	1.50	...	1.61	1.61
6.07 विशाखापत्तनम	5453	4.00	...	4.00	4.99	...	4.99
	3453
6.08 रत्न और जेवरात निर्यात संवर्धन क्षेत्र	3601	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00
6.09 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क	5465	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
6.10 ई.सी.जी.सी. में निवेश	5453	5.25	...	5.25	5.00	...	5.00
6.11 भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	3453	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.50	3.50
जोड़	96.25	20.06	116.31	95.27	20.81	116.08	50.00	29.51	79.51	
	3453	44.00	3.75	47.75	49.00	3.75	52.75	62.00	4.00	66.00
7. कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	2552
जोड़	44.00	3.75	47.75	49.00	3.75	52.75	62.00	4.00	66.00	
	3453	30.00	4.75	34.75	30.00	4.75	34.75	40.00	5.00	45.00
8 समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण										
9 विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं	3453	1.50	9.17	10.67	0.62	11.14	11.76	...	21.42	21.42
9.01 वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय	5453	1.00	...	1.00	0.60	...	0.60
9.02 निर्यात संवर्धन गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण	3453	0.15	...	0.15
9.02.01 भारत की गुणवत्ता परिषद्	3453	3.50	2.00	5.50	3.10	2.80	5.90	1.69	2.80	4.49
9.02.02 निर्यात निरीक्षण परिषद्	3453	0.26	...	0.26	0.36	...	0.36

मुख्य शीर्ष	(करोड़ रुपए)								
	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
9.02.03 ईएन-भारतीय	3453	14.50	...	14.50	42.00	...	42.00
9.02.04 बाजार सुलभता पहल-निर्यात अध्ययन	3453	0.60	...	0.60	0.80	...	0.80
9.02.05 डब्ल्यू टी.ओ. अध्ययन केन्द्र	3453	9.50	...	9.50
9.02.06 संस्थाओं को सहायता	3453	6.50	...	6.50
9.02.07 आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	5453	3.00	...	3.00
जोड़	9.50	...	9.50
9.02.08 फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान	3453	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
9.03 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को योगदान	3453	...	5.00	5.00	...	4.75	4.75	...	5.00
9.04 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	3453	...	0.40	0.40	...	0.20	0.20	...	0.40
9.05 भारतीय पैकेजिंग संस्थान को भुगतान	3453	2.00	...	2.00	1.60	...	1.60
9.06 भारत व्यापार संवर्धन संगठन	3453
9.07 निर्यात अवसंरचना और अन्य संबद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता योजना	3601	97.00	...	97.00	43.52	...	43.52
	3453	6.00	...	6.00
	5453
जोड़	97.00	...	97.00	49.52	...	49.52	310.00	...	310.00
9.08 रबर की खरीद पर एस.टी.सी. को घाटे की प्रतिपूर्ति	3453	26.49	26.49	...	25.00	25.00
9.09 कम्बाकू की खरीद पर एस.टी.सी. को घाटे की प्रतिपूर्ति	3453	5.00	5.00
9.10 बाजार सुलभता पहल निर्यात अध्ययन	3453
9.11 आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	5453
9.12 अन्य	3453	5.00	1.98	6.98	1.66	2.86	4.52	1.00	3.00
जोड़	110.00	18.55	128.55	73.46	53.24	126.70	376.00	57.62	433.62
जोड़-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन बागान	310.11	795.44	1105.55	281.59	797.34	1078.93	528.00	824.83	1352.83
10. सामग्री बोर्ड									
10.01 चाय बोर्ड	2407	35.00	14.50	49.50	55.00	14.50	69.50	27.45	15.50
10.02 रबड़ बोर्ड	2407	53.42	9.50	62.92	70.00	9.50	79.50	64.30	10.50
10.03 कॉफी बोर्ड	2407	27.80	11.50	39.30	31.00	11.50	42.50	47.00	12.50
10.04 मसाला बोर्ड	2407	15.34	2.80	18.14	17.30	2.90	20.20	25.75	3.00
10.05 काजू वि. संव. परि.	2407	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	1.50	...
जोड़ - सामग्री बोर्ड	133.56	38.30	171.86	175.30	38.40	213.70	166.00	41.50	207.50
11. बागान की अन्य योजनाएं									
11.01 भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान बंगलौर	2407	0.59	...	0.59	0.59	...	0.59	1.00	...
11.02 भारतीय चाय व्यापार निगम को भुगतान	2407	...	0.20	0.20	...	0.30	0.30	...	0.30
	6407
जोड़	...	0.20	0.20	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
जोड़ - बागान फसल कार्य	134.15	38.50	172.65	175.89	38.70	214.59	167.00	41.80	208.80
12. तंबाकू बोर्ड	2401	1.00	...	1.00
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं									
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए एक मुश्त प्रावधान	3475
उत्तर - पूर्वी क्षेत्र के लिए निर्यात विकास निधि	2407
	3453
अवसंरचना एवं अन्य सहयोगी क्रियाकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता स्कीम	2552	2.50	...	2.50
	4552	2.50	...	2.50
	4552	20.00	...	20.00
महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक संतुलन	3601
	2552	2.00	...	2.00
चाय	4552	2.00	...	2.00
	2552	10.00	...	10.00	35.55	...	35.55
रबड़	4552	10.00	...	10.00
	2552	8.29	...	8.29	15.70	...	15.70
कॉफी	4552	8.29	...	8.29
	2552	1.60	...	1.60	3.00	...	3.00
मसाला	4552	1.60	...	1.60
	2552	0.98	...	0.98	2.75	...	2.75
	4552	0.98	...	0.98
जोड़	50.74	...	50.74	77.00	...	77.00

(करोड़ रुपए)

	बजट 2001-2002				संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
आपूर्ति और निपटान										
14. डी. जी. एस एन्ड डी	2057	...	38.72	38.72	0.35	37.82	38.17	2.00	38.37	40.37
कुल जोड़	497.00	903.66	1400.66	460.00	903.32	1363.32	775.00	935.00	1710.00	
स्व. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़
	शीर्ष	समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.	
1. निर्यात ऋण और गारंटी निगम	13465	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
2. अन्य संस्थाओं/निकाय वस्तु बोर्ड इत्यादि	12407	...	11.55	11.55	...	15.06	15.06	...	2.00	2.00
जोड़	50.00	11.55	61.55	50.00	15.06	65.06	50.00	2.00	52.00	
ग. योजना परिव्यय*										
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	2.00	...	2.00	2.17	...	2.17
2. विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	13453	310.11	2.00	312.11	281.59	2.00	283.59	528.00	2.00	530.00
3. बागान	12407	134.15	2.35	136.50	175.89	5.53	181.42	167.00	...	167.00
4. फसल कार्य	12401	...	7.20	7.20	...	7.53	7.53	1.00	...	1.00
5. आपूर्ति और निपटान	32057	0.35	...	0.35	2.00	...	2.00
6. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं	13425
7. उत्तर पूर्वी क्षेत्र	22552	50.74	...	50.74	77.00	...	77.00
जोड़	497.00	11.55	508.55	460.00	15.06	475.06	775.00	2.00	777.00	

* इसमें शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की मांग में दिया गया निर्माणकार्य परिव्यय शामिल है

अन्य वैज्ञानिक सेवाएं										
मांग संख्या 83 लोक निर्माण कार्य	13425
जोड़

1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं - विभाग के सचिवालय पर होने वाले व्यय के लिए प्रावधान है।

2. व्यापार आयुक्त - 66 विदेश व्यापार मिशनों में तैनात ये व्यापार संबंधी पूछ-ताछ का कार्य संभालते हैं, व्यापारिक विवादों को निपटाने और प्रदर्शनियां/मेले आदि आयोजित करने में भी सहायता प्रदान करते हैं।

3. महानिदेशक, विदेश व्यापार - इसमें महानिदेशक, विदेश व्यापार और इनके नियंत्रणाधीन 31 क्षेत्रीय आयात और निर्यात नियंत्रण कार्यालयों के संगठन पर होने वाले प्रशासनिक व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

4. निर्यात संवर्धन और बाजार विकास सहायता - यह प्रावधान संभावित निर्यात लाभ (शुल्क वापसी और समाप्त किए जाने वाले उत्पाद शुल्क की वापसी) के लिए है। इसके अतिरिक्त, निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य संस्थाओं को विशिष्ट निर्यात संवर्धन स्कीमों के लिए अनुदानों के भुगतान के लिए भी प्रावधान किया गया है।

5. महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना शेष: यह प्रावधान आधारभूत संरचना में उन विशेष बाधाओं को दूर करने के लिए एक योजना हेतु है जो निर्यातों को बाधित करते हैं।

6. मुक्त व्यापार/निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र/ विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास: इसमें गाँधीधाम (कच्छ) में विशेष आर्थिक क्षेत्र, सांताक्रुज विशेष आर्थिक क्षेत्र मुम्बई और कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोचीन और चेन्नई, फाल्टा, नोएडा और विशाखापत्तनम में निर्यात संवर्धन क्षेत्रों के लिए प्रावधान शामिल है। बजट में आयोजना पक्ष में निर्माण और विकास के लिए तथा गैर आयोजना पक्ष में प्रशासनिक व्यय प्रावधान शामिल है। विभिन्न राज्यों में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने, निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) में निवेश और आई.आई.एफ.टी. को प्रशासनिक व्ययों के लिए सहायता का भी प्रावधान किया गया है।

7. कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए): बजट में कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को संबंधित भुगतानों के लिए उपकरण संग्रहणों के प्रति भुगतान करने के प्रति कतिपय कृषि और

संसाधित खाद्य उत्पादों के विकास और निर्यात संवर्धन तथा उससे सम्बद्ध मामलों के लिए प्रावधान शामिल है।

8 समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) - इसकी स्थापना निर्यात के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग का विकास और विनियमन करने के उद्देश्य से की गई थी। उपकरण वसूलियों पर एम.पी.ई.डी.ए. को निधियां जारी की जाती हैं।

9. विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं - इसमें वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद्, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, आई.आई.पी., फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान, ई ए एन - इंडिया आदि को भुगतान करने के लिए व्यवस्था शामिल है। यह योजना राज्यों को निर्यात प्रयासों और बाजार में पहुँच की पहलों में शामिल करने के लिए निर्यात संबंधी बुनियादी ढांचों का विकास करने और संबंधित गतिविधियों हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए हैं।

10. वस्तु बोर्ड - ये बोर्ड कतिपय महत्वपूर्ण फसलों अर्थात् रबड़, चाय, कॉफी, मसालों के निर्यात का विकास और वर्द्धन करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इन वस्तुओं पर उपकरण लगाया जाता है और उपकरणों से प्राप्त होने वाली रकम से बोर्ड के प्रशासनिक और विकासात्मक स्वर्च के लिए भारत की समेकित निधि से रकमों दी जाती हैं।

11. बागान की अन्य योजनाएं - इनमें मुख्य रूप से सरकारी चाय भाण्डागारों के संचालन के लिए चाय व्यापार निगम को अदायगी करने के लिए व्यवस्था शामिल है।

12. तम्बाकू बोर्ड: इसमें बोर्ड के राजस्व व्यय के लिये प्रावधान शामिल है।

13. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए एक मुश्त प्रावधान - इसमें चाय, काफी, रबड़ और मसालों आधारित जैसी संबंधित स्कीमों के लिए प्रावधान किया गया है।

14. आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय : क्रय के लिए विकेन्द्रीकृत प्रबंध के तहत, निदेशालय अब मुख्य रूप से दर संविदाओं के समापन से संबंधित है।